रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 4 सितम्बर, 2008 / 13 भाद्रपद, 1930

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 2 सितम्बर, 2008

संख्या वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक / 1–68 / 2008.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के निमय 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 2 सितम्बर, 2008 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 17 का संशोधन ।

2008 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 है ।

धारा 17 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 17 में, –

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) निधि का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष के 30 जून को या इससे पूर्व निधि में वार्षिक अभिदाय निम्नलिखित दरों पर संदत्त करेगा, अर्थात् :–

जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष से कम की अवस्थिति है	दो सौ रूपये ;
जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष या अधिक की अवस्थिति है	चार सौ रूपये :

परन्तु निधि का सदस्य अपने विकल्प पर प्रवेश के समय पांच हजार रुपये के आजीवन अभिदान का एक मुश्त संदाय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि निधि का विद्यमान सदस्य भी अपने विकल्प पर निधि की अपनी सदस्यता को, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी शेष राशि का संदाय कर, जिससे कि उसके लेखे में कुल जमा राशि पांच हजार रुपये हो जाए, आजीवन सदस्यता में बदल सकता है।''; और

(ख) उपधारा (5) में अकों और शब्दों "31 मार्च" के स्थान पर "30 जून" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 18 निधि के सदस्य द्वारा व्यवसाय के बन्द किए जाने पर अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रकम के संदाय का उपबन्ध करती है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय की दरों को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में न्यासी समिति की सिफारिशों पर तीन हजार रूपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये प्रतिवर्ष कर दिया गया था। न्यासी समिति ने संकल्प किया है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वार्षिक अभिदाय को, उन अधिवक्ताओं के लिए, जिन की बार में अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष से कम की अवस्थिति है, सौ रूपये से बढ़ाकर दो सौ रूपये प्रति वर्ष करना और उन अधिवक्ताओं के लिए, जिन की बार में अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष या इससे अधिक की अवस्थिति है, दो सौ रूपये से बढ़ाकर चार सौ रूपये प्रतिवर्ष करना तथा आजीवन सदस्यता के लिए तीन हजार रूपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये करना आवश्यक हो गया है। न्यासी समिति ने यह भी संकल्प किया है कि निधि के सदस्य, जो हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निधि के आजीवन सदस्य नहीं बन सके थे, की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्हें निधि का आजीवन सदस्य बनने के लिए दो वर्ष का और समय अनुज्ञात किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी इंगित किया गया कि सदस्य को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक वार्षिक अभिदाय का संदाय करना अपेक्षित है, परन्तु यह विकल्प वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि वार्षिक अभिदाय के संदाय के लिए अन्तिम तारीख प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बजाए 30 जून नियत की जाए। इसलिए न्यासी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और राज्य में व्यवसाय करने वाले समस्त अधिवक्ताओं को वित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने के आशय से, पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपयुर्क्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख.....2008

वित्तीय ज्ञापन

– शून्य –

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

– शून्य –

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

ए0 सी0 डोगरा,
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख.....2008.

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का 14) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा:

17. निधि की सदस्यता.–(1) राज्य के किसी भी न्यायालय, अधिकरण में या प्राधिकारी के समक्ष व्यवसाय करने वाला कोई अधिवक्ता और विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधिज्ञ संगम या अधिवक्ता संगम का सदस्य होते हुए निधि के सदस्यों के रुप में प्रवेश के लिए न्यासी समिति को ऐसे प्ररुप जैसा विहित किया जाए में आवेदन कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, न्यासी समिति ऐसी जांच करेगी जैसी वह उचित समझे और आवेदक को निधि में प्रवेश देगी या कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को नामंजूर करेगी :

परन्तु आवेदन को नामन्जूर करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) प्रत्येक आवेदक, आवेदन के साथ, विहित रीति में आवेदन फीस देगा –

(i) ऐसे आवेदक की दशा में जिसने आवेदन करने की तारीख को दस वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवसाय किया है, एक सौ रूपये; और

(ii) ऐसे आवेदक की दशा में जिसने आवेदन करने की तारीख को दस या अधिक वर्षों की अवधि के लिए व्यवसाय किया है, दो सौ रूपये :

परन्तु जब आवेदन उप–धारा (2) के अधीन नामंजूर किया जाए तो आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस का उसे प्रतिदाय किया जाएगा।

(4) निधि का प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 31 मार्च को या उससे पूर्व निम्नलिखित दरों पर निधि में वार्षिक अभिदान संदत्त करेगा, अर्थात् :–

जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष से कम की अवस्थिति है।	एक सौ रूपये।
जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष से अधिक की अवस्थिति है।	दो सौ रूपये।

परन्तु यह कि निधि का सदस्य अपने विकल्प पर प्रवेश के समय तीन हजार रूपये के आजीवन अभिदान का एक मुश्त संदाय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि निधि का विद्यमान सदस्य भी अपने विकल्प पर निधि की अपनी सदस्यता को, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी शेष राशि का संदाय कर, जिससे कि उसके लेखे में कुल जमा राशि तीन हजार रूपये हो जाए, आजीवन सदस्यता में बदल सकता है।

(5) निधि का कोई सदस्य, जो किसी वर्ष के लिए वार्षिक अभिदान उस वर्ष के 31 मार्च को या उससे पूर्व संदत्त करने में असफल रहेगा, निधि की सदस्यता से हटाए जाने का दायी होगा।

(6) उप–धारा (5) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाए गए किसी व्यक्ति को हटाए जाने की तारीख से छः मास के भीतर पच्चीस रूपये की पुनः प्रवेश फीस सहित बकाया के संदाय पर, निधि में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

(7) निधि का प्रत्येक सदस्य, निधि की सदस्यता में प्रवेश के समय, उसकी मृत्यु की दशा में, इस अधिनियम के अधीन सदस्य को देय कोई रकम प्राप्त करने का अधिकार अपने आश्रितों में से एक या अधिक को प्रदत्त करते हुए नामनिर्देशन करेगा।

(8) यदि निधि का कोई सदस्य उप–धारा (7) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो, वह नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिती को देय रकम या भाग विनिर्दिष्ट करेगा।

(9) निधि का सदस्य, किसी भी समय, न्यासी समिति को लिखित नोटिस भेज कर नाम निर्देशन रद्द कर सकेगा ; परन्तु यह तब जबकि वह ऐसे नोटिस के साथ एक नया नाम निर्देशन भेजेगा।

(10) निधि का प्रत्येक सदस्य जिसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26 –क के अधीन राज्य नामावली से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया है या जो स्वेच्छा से व्यवसाय निलंबित करता है, ऐसे अनुरोध या निलम्बन से पन्द्रह दिन के भीतर उस तथ्य को न्यासी समिति को सूचित करेगा और यदि निधि का कोई सदस्य पर्याप्त कारणों के बिना ऐसा करने में असफल रहता है, तो न्यासी समिति, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन उस सदस्य को देय रकम कम कर सकेगी।

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2008

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 17.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEST

Bill No. 13 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2008

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996(Act No. 14 of 1996)***.**

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows **:—**

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2008. Short title.

2. In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996,- Amendment of section 17.

(a) for sub-section(4), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(4) Every member of the Fund shall pay an annual subscription to the Fund on or before 30th June of every year at the following rates, namely:-

Where the standing of the Advocate at the Bar is less than ten years	Two hundred rupees;
Where the standing of the Advocate at the Bar is ten years or more	Four hundred rupees:

Provided that a Member of the Fund may at his option make one time payment of life subscription of five thousand rupees at the time of the admission :

Provided further that the existing Member of the Fund may also at his option convert his membership of the Fund into life membership by making payment of the balance amount so as to credit to his account total sum of five thousand rupees within a period of two years from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2008."; and

(b) in sub-section (5) ,for the figures and words "31st March", the figures and words "30th June" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 18 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 provides for payment of amount on cessation of practice by a member of the fund at the rates specified in the Schedule appended to the Act. The rates of payment of amount specified in the Schedule were enhanced in the year 2007 by the State Government on the recommendations of the Trustee Committee from Rs.3000 to Rs.5000/-per year. The Trustee Committee has resolved that on account of enhancement of rates of amount specified in the Schedule, it has become necessary to increase annual subscription from Rs. 100/- to Rs. 200/- per year for the Advocates who have less than ten years standing as an Advocate at the Bar and from Rs. 200/- to Rs. 400/-per year for those who have ten or more years standing as an Advocate at the Bar and Rs. 3000/-to Rs. 5000/- subscription for life time membership. The Trustee Committee has further resolved that keeping in view the demand of the members of the fund who could not become life member of the fund within specified period of two years, from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2004, should be allowed more time of two years to become life time member of the fund. Further, it has been pointed out that a member is required to make payment of the annual subscription by 31st March every year, but this option is creating financial difficulties, therefore, it has been proposed that the last date for payment of annual subscription should be fixed as 30th June instead of 31st March every year. Thus, in view of the recommendations of the Trustee Committee and in order to extend financial benefits to all the Advocates practising in the State, it has been decided to make suitable amendments in the Act ibid. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla:

The , 2008.

FINANCIAL MEMORENDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2008

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of 1996).

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

A.C. Dogra,
Secretary (Law).

Shimla:

The , 2008.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1996 (ACT NO. 14 OF 1996) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section :

17. Membership of the fund.-(1) Any Advocate practising in or before any court, tribunal or authority in the State and being a member of a Bar Association or an Advocates Association recognised by the Bar Council may apply to the Trustee Committee for admission as a member of the Fund in such form as may be prescribed.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), The Trustee Committee shall make enquiry as it deems fit and either admit the applicant to the Fund or, for reason to be recorded in writing, reject the application :

Provided that no order rejecting an application shall be passed unless the applicant has been given an opportunity of being heard .

(3) Every applicant shall, alongwith the application, pay, in the prescribed manner, an application fee-

(i) in the case of an applicant who, on the date of application has practiced for a period of less than ten years, rupees one hundred;

(ii) in the case of an applicant who, on the date of application has practiced for a period of ten years or more, rupees two hundred :

Provided that when an application is rejected under sub-section (2) the application fee paid by the applicant shall be refunded to him.

(4) Every member of the Fund shall pay an annual subscription to the Fund on or before the 31st March of every year at the following rates, namely :-.

Where the standing of the advocate at the Bar is less than ten years.	one hundred rupees
Where the standing of the advocate at the Bar is ten Years or more.	two hundred rupees.

Provided that a Member of the Fund may at his option make one time payment of life subscription of three thousand rupees at the time of the admission :

Provided further that the existing Member of the Fund may also at his option convert his membership of the Fund into life membership by making payment of the balance amount so as to credit to his account total sum of three thousand rupees within a period of two years from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2004.

(5) Any member of the Fund who fails to pay the annual subscription for any year on or before 31st March of that year shall be liable to be moved from the membership of the Fund.

(6) A person removed from the membership of the Fund under sub-section (5) may be re-admitted to the Fund on payment of the arrears with the readmission fee of twenty five rupees within six months from the date of removal.

(7) Every member of the Fund Shall, at the time of admission to the membership of the Fund, make nomination conferring on one or more of his dependents the right to receive, in the event of his death, any amount payable to the member under this Act.

(8) If a member of the Fund nominates more than one person under sub-section (7), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees.

(9) A member of the Fund, may, at any time , cancel a nomination by sending the notice in writing to the Trustee Committee ; provided that he shall , along with such notice, send a fresh nomination.

(10) Every member of the Fund who has requested the removal of his name from the State roll under section 26-A of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) or who voluntarily suspends practice shall within fifteen days of such request or suspension, intimate that fact to the Trustee Committee and if any member of the Fund fails to do so without sufficient reasons, the Trustee Committee may reduce, in accordance with such principles as may be prescribed, the amount payable to that member under this Act.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 2 सितम्बर, 2008

संख्या वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक / 1–65 / 2008.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के निमय 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदकों का अन्तरण) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 2 सितम्बर, 2008 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2008

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. लम्बित और निपटाए गए मामलों और आवेदनों का अन्तरण।
4. पक्षकारों को मामलों के अन्तरण की सूचना।
5. नियम बनाने की शक्ति ।
6. 2008 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति।

2008 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0–1045 (ई), तारीख 26 अगस्त, 1986 को विखण्डित करते हुए, अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0–505 (ई), तारीख 08 जुलाई, 2008 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह 08 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आवेदन" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत है; और 1985 का 13

(ख) "अधिकरण" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण और उसकी न्यायपीठें अभिप्रेत हैं।

लम्बित और निपटाए गए मामलों और आवेदनों का अन्तरण।

3. (1) कोई भी वाद या मामला या अन्य कार्यवाही जिसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लंबित है, उसी

सिविल न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा जिससे यह अन्तरित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय विद्यमान नहीं है तो इसके स्थान पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा न्यायालय इसका निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा मानो कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक वाद था।

1908 का 5

(2) प्रत्येक कार्यवाही जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उच्च न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगी।

(3) मामले की प्रत्येक कार्यवाही, जो मूल आवेदन के रूप में अधिकरण में दाखिल की गई थी और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया है या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को उपरोक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित है, उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएगी।

(4) जहां उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन कोई भी मामला या कार्यवाही अधिकरण से उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाती है तो,–

(क) ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के अभिलेख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय को भेज दिए जाएंगे; और

(ख) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय, ऐसे अभिलेख की प्राप्ति पर मामले का, उस प्रक्रम से जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित किए जाने से पूर्व था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से जैसा उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय उचित समझे निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित अंतिम आदेश या अन्तरिम आदेश के अवमान,

निष्पादन या पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी।

पक्षकारों को मामलों के अन्तरण की सूचना।

4. धारा 3 के अधीन, आवेदनों या कार्यवाहियों के अन्तरण के पश्चात्, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय यथाशीघ्र पक्षकारों या उनके काउंसेल को तद्नुसार सूचित करेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

5. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2008 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति।

6. (1) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवदेनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2008 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा, प्रथम सितम्बर, 1986 को की गई थी। अधिकरण को राज्य सरकार के वादी कर्मचारियों को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के आशय से स्थापित किया गया था। अधिकरण, राज्य की सिविल सेवाओं या राज्य में किसी सिविल पद या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या किसी सोसाइटी में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में, उच्चतम न्यायालय से अन्यथा, सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य समस्त अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त था। राज्य में जब अधिकरण की स्थापना की गई थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या छह थी, जो अब बढ़कर ग्यारह हो गई है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया है कि अब सेवा के मामलों को उच्च न्यायालय में अधिक शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, देश में कुछ ही राज्य हैं जहां प्रशासनिक अधिकरण हैं। इसलिए उपरोक्त तथ्यों और प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित मामलों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को व्यापक लोकहित में बन्द करने के लिए अनुरोध करने हेतु विनिश्चय किया गया था, क्योंकि इससे वांछित उद्देश्य, जिनके लिए यह स्थापित किया गया था, प्राप्त नहीं हो सके थे।

भारत सरकार द्वारा अधिकरण को समाप्त किए जाने के पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि समस्त विनिश्चित और लम्बित मामलों और आवेदनों को, यथास्थिति, माननीय उच्च न्यायायल और सिविल न्यायालयों को अन्तरित कर दिया जाए। इसलिए मामले की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था क्योंकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया जाना अनिवार्य था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2008 (2008 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) 24–07–2008 को प्रख्यापित किया गया जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 25–07–2008 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है जो नियम बनाने के लिए भी उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपान्तरण सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः.....2008

वित्तीय ज्ञापन

– शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन, अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0–1045 (ई) तारीख 26 अगस्त, 1986 को विखण्डित करते हुए, अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0–505 (ई) तारीख 08 जुलाई, 2008 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

———

ए0सी0 डोगरा,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख.....2008

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED AND PENDING CASES AND APPLICATIONS) BILL, 2008.

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Transfer of pending and disposed of cases and applications.

4. Intimation of transfer of cases to the parties.

5. Power to make rules.

6. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2008 and saving.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 14 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED AND PENDING CASES AND APPLICATIONS) BILL, 2008.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the transfer of decided cases and pending applications before the Himachal Pradesh Administrative Tribunal which has been abolished by the Government of India vide Notification No. G.S.R.505(E), dated 8th July, 2008 by rescinding the Notification No. G.S.R. 1045(E), dated 26th August, 1986.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (transfer of decided and pending cases and applications) Act, 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force on 8th July, 2008.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "application" means an application made under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985; and

13 of 1985.

(b) "Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal and Benches thereof established under sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

Transfer of pending and disposed of cases and applications.

3. (1) Any suit or case or other proceeding which was transferred by any civil court and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act, before the Tribunal shall stand transferred back to the same civil court from which it was transferred and in case such court is

not in existence then to the court of competent jurisdiction in its place and such court shall proceed to dispose of the same as if it was a plaint under the Code of Civil Procedure, 1908. 5 of 1908.

(2) Every proceeding which was transferred by the High Court to the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act, before the Tribunal shall stand transferred back to the High Court.

(3) Every proceeding of a case which was filed as an original application in the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act, before the said Tribunal shall stand transferred to the High Court.

(4) Where any case or proceeding stands transferred from the Tribunal to the High Court or civil court under sub-section (1), (2) or (3), -

(a) the records of such cases or proceedings shall be forwarded to the High Court or the concerned civil court, as the case may be; and

(b) the High Court or the civil court, as the case may be, on receipt of such record, proceed to deal with the case from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage as the High Court or the civil court may deem fit.

(5) Every proceeding relating to contempt, execution or review of final order or interim order pending before the Tribunal on the date of commencement of this Act, shall stand transferred to the High Court or the civil court, as the case may be.

Intimation of transfer of cases to the parties.

4. As soon as after the transfer of applications or proceedings under section (3), the High Court or the civil court concerned, as the case may be, shall intimate the parties and their counsel accordingly.

Power to make rules.

5. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may comprised in one session or in two or more successive session and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2008 and saving.

6. (1) The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (transfer of decided and pending cases and applications) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Administrative Tribunal was established by the Government of India, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) with effect from 1st day of September, 1986. The Tribunal was established in order to provide speedy justice to litigant employees of the State Government. The Tribunal was empowered to exercise all jurisdiction, powers and authority exercisable by all courts, except the Supreme Court, in relation to recruitment, conditions of service of persons appointed in civil services of the State or any civil post in the State or any Local or other Authority or Corporation or Society owned and controlled by the State Government. When the Tribunal was set up in the State, the strength of Judges in Himachal Pradesh High Court was six which has now gone upto eleven. Therefore, keeping in view the present strength of Judges in the Hon'ble High Court, it was considered that the service matters can, now, be handled in the High Court more expeditiously. Besides, there are only few States in the country which have Administrative Tribunals. Thus, keeping in view the above facts and the large number of pending cases in the Administrative Tribunal, it was decided to request the Government of India for abolition of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal in the larger public interest as the same could not achieve the desired objectives for which it was established.

After abolition of the Tribunal by the Government of India, it was felt essential to transfer all decided and pending cases and applications to Hon'ble High Court and civil courts, as the case may be. Thus, keeping in view urgency of the matter, it was decided to promulgate an Ordinance, because the State Legislative Assembly was not in session.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (transfer of decided and pending cases and applications) Act, 2008 had to be enacted urgently, therefore, the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (transfer of decided and pending cases and applications) Ordinance, 2008 (H.P.Ordinance No. 2 of 2008) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 24-07-2008 which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 25-07-2008. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation which also makes provision for framing of rules.

This Bill seeks to replace the said ordinance with modification.

PREM KUMAR DHUMAL,
CHIEF MINISTER.

SHIMLA:
THE, 2008.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act. This delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED AND PENDING CASES AND APPLICATIONS) BILL, 2008.

A

BILL

to provide for the transfer of decided cases and pending applications before the Himachal Pradesh Administrative Tribunal which has been abolished by the Government of India vide Notification No. G.S.R.505(E), dated 8th July, 2008 by rescinding the Notification No. G.S.R. 1045(E), dated 26th August, 1986.

PREM KUMAR DHUMAL,
CHIEF MINISTER.

A. C. DOGRA ,
Secretary(Law).

SHIMLA:
THE, 2008.

ENVIRONMENT & SCIENTIFIC TECHNOLOGIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 29th *September,* 2008

No. STE-A(I)-4/2001-I.—In Supersession of this Department Notification of even number dated 13th March, 2008 the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (2) of Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 is pleased to constitute the H.P. State Pollution Control Board for a period of 3 years in the following manner with immediate effect :—

Principal Secretary (Environment & ST) to the Government of Himachal Pradesh.	*Chairperson*

Official Members

1.	The Pr. Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh or Director (Industries), H.P. Shimla.	*Member*
2.	The Pr. Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh. or Director (Health Services), H.P. Shimla-9.	*Member*
3.	The Pr. Secretary (MPP& Power) to the Govt. of Himachal Pradesh.	*Member*
4.	The Secretary (I&PH) to the Govt. of Himachal Pradesh or Engineer-in Chief (I&PH) Shimla.	*Member*
5.	Managing Director (HRTC)	*Member*
6.	Managing Director (HPTDC)	*Member*
7.	Director (Environment & Scientific Technologies) H.P., Shimla.	*Member*

The Non Official members shall be notified subsequently.

By order,
HARINDER HIRA,
Pr. Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT (Apptt.II)

NOTIFICATION

Shimla-, the 2nd September 2008

No. Per(AP.B)B(2)-1/99-Pt.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Dr. Jai Krishan Chauhan, Professor, Department of Laws, Punjab University as Member of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur for a period of five years fromthe date he enters upon his office or until he attains the age of sixty two years, whichever is earlier, on the Terms & Conditions as specified in the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Terms and Conditions (Chairman & Members) Rules, 1998, as amended from time to time.

By order,

ASHA SWARUP,
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित